आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

ऑंगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0–72/2021

राधा देवी..अपीलकर्त्ता

बनाम्

संगीता कुमारी एवं अन्य...विपक्षी

12.07.2024

आदेश

प्रस्तुत ऑंगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा द्वारा ऑंगनबाड़ी वाद सं0–43/2020 में दिनांक 08.07.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है;

"...... विषयांकित वाद में वर्ग बाहुल्यता बदले जाने के कारण पूर्व के अति पिछड़ा वर्ग में बाहुल्य वाले विज्ञापन पर चयन करना युक्तिसंगत नहीं है। अतएव विपक्षी राधा कुमारी का सेविका पद से चयनमुक्त किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर को यह भी आदेश दिया जाता है कि निदेशालय के पत्रांक 82, दिनांक 06.01.2021 में वर्णित दिशा–निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने परियोजना अंतर्गत संदर्भित मामलें में प्राप्त परिवाद पत्र में स्वयं जाँचोपरान्त सतुष्ट हो लेंगी कि मैपिंग पंजी के अनुसार सही वर्ग बाहुल्यता का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है।"

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि जिला सारण के अन्तर्गत दरियापुर प्रखण्ड के पिरारीडीह पंचायत के वार्ड सं0––12 के लिए सेविका/सहायिका के चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। जिसमें अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने भी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में दिनांक 08.08.2019 को आयोजित आम सभा में अपीलार्थी राधा देवी का चयन प्रश्नगत केन्द्र के सेविका पद हेतु किया गया। उक्त चयन से विक्षुब्ध होकर विपक्षी संगीता कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा के समक्ष ऑंगनबाड़ी वाद सं0–43/2020 दायर किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा द्वारा दिनांक 08.07.2021 को आदेश पारित करते हुए सेविका राधा देवी को चयनमुक्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध राधा देवी द्वारा आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा के समक्ष ऑंगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0–72/2021 दायर किया गया है।

आयुक्त न्यायालय में वाद दायर करने के उपरान्त अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 18580/2021 दायर किया गय जिसमें दिनांक 23.06.2022 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित है:-

"..........*Learned counsel for the petitioner wants to withdraw this application. Permission is accorded.*

Accordingly, the application is dismissed as withdrawn."

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रखण्ड-दरियापुर, पंचायत-पिरारीडीह, वार्ड सं0-12 अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है तथा अपीलकर्त्ता भी अति पिछड़ा वर्ग की महिला है। इस क्रम में दिनांक 08.08.2019 को आयोजित आम सभा में अपीलकर्त्ता का चयन सर्वसम्मति से सेविका पद हेतु किया गया है। परन्तु इसी बीच जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के पत्रांक 1162 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा उनके चयनमुक्ति का आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के समक्ष संचालित वाद सं0-43/2020 में उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु कोई नोटिश नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनके द्वारा उक्त सुनवाई में अपना पक्ष नहीं रखा जा सका है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रश्नगत वार्ड में अति पिछड़ा वर्ग की संख्या-356 तथा अनुसूचित जाति की संख्या-340 है। ऐसे में उक्त वार्ड अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य का है, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा मैंपिग पंजी का अवलोकन अथवा जॉच पड़ताल कराए बिना तथा अपीलकर्त्ता का पक्ष जाने बिना ही उन्हे चयन मुक्त कर दिया गया है। इस क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रस्तुत वाद से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भी अपना पक्ष नही रखा गया है। ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा प्रश्नगत वार्ड को किस आधार पर अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य के स्थान पर अनुसूचित जाति वर्ग बहुलता का माना गया है, यह स्पष्ट नही है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

5. विपक्षी संगीता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत वार्ड सं0-12 में अनुसूचित जाति की वर्ग बहुलता रही

Scanned with OKEN Scanner

है, तथा विपक्षी भी अनुसूचित जाति वर्ग बहुलता से आती है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि प्रश्नगत वार्ड सं0-12 में अनुसूचित जाति की संख्या-355 तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की संख्या-312 है, परन्तु महिला पर्यवेक्षिका द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से मैंपिग पंजी का निर्माण कर उक्त वार्ड को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बहुलता का दर्शाया गया है तथा उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता का चयन प्रश्नगत ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु किया गया है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के प्रश्नगत आदेश को यथावत रखा जाय तथा प्रश्नगत अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

6. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत राज-पिरारीडीह, प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण अन्तर्गत वार्ड सं0-12 में सेविका पद पर बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अपीलकर्त्ता, राधा देवी, विपक्षी संगीता कुमारी के साथ ही अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में दिनांक 08.08.2019 को आयोजित आम सभा में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी राधा देवी, पति-उपेन्द्र पंडित का चयन सेविका पद हेतु किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण के समक्ष ऑँगनबाड़ी वाद सं0-43/2020 संस्थित कर मामले की सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलकर्त्ता राधा देवी, महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर अनुपस्थित रही है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा अपने आदेश में मैंपिग पंजी में निम्नांकित त्रुटियों को दर्शाया गया है;

(i) मैंपिग पंजी के क्रंमाक-91-96 तक गोण्ड जाति को दर्शाया गया है, जबकि संख्यात्मक प्रतिवेदन में उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) मैंपिग पंजी के क्रंमाक -56 पर शिवजी साह, पिता-बनारस साह, जो तेली जाति से आते है, को BC-II में दर्शाया गया है, जबकि तेली समुदाय BC-I में आते है।

(iii) मैंपिग पंजी के क्रंमाक -16 पर सकल साह, पिता-स्व0 कपूरी साह, जो तेली जाति से आते है, को BC-II में दर्शाया गया है, जबकि तेली समुदाय BC-I में आते है।

(iv) मैंपिग पंजी के क्रंमाक -36 पर मुन्नी कुंवर, पति-अमरनाथ प्रसाद, जो कुर्मी जाति से आते है, को BC-I में दर्शाया गया है, जबकि कुर्मी समुदाय BC-II में आते है।

(v) मैंपिग पंजी के क्रंमाक-112, 113 एवं 114 के परिवार के मुखिया पति मे नाम के बाद उपनाम/कुलनाम में ठाकुर लगाया गया है, जबकि सर्वे पंजी में माँझी अंकित है, को BC-II में दर्शाया गया है, जबकि माँझी समुदाय SC में आते है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण से प्रश्नगत चयन से संबंधित मैंपिग पंजी एवं उसके सार के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके अवलोकन के क्रम में निम्नांकित स्थिति पायी गयी है;

क्र0सं0	Catatory	संख्या
1	B.C-I	398
2	B.C-II	360
3	S.C	335
4	GEN	03

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो एवं निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-43/2020 में आदेश दिनांक 08.07.2021 द्वारा मैंपिग पंजी में कतिपय त्रुटियों को दर्शाते हुए प्रश्नगत वार्ड में अनुसूचित जाति की वर्ग बहुलता होना दर्शाया गया है।

(ii) इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा अपने प्रतिवेदन में अतिपिछ्ड़ा वर्ग की वर्ग बहुलता को दर्शाया गया है।

(iii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण द्वारा अपने पत्रांक 2075/प्रो0, दिनांक 10.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर वर्त्तमान में सर्वे नही हुआ है। उक्त केन्द्र पर कोई नया पंजी तैयार नही किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-43/2020 में प्रश्नगत केन्द्र पर अनुसूचित जाति के वर्ग बहुलता को मान्यता देते हुए आदेश पारित किया गया है। जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा के प्रतिवेदन पत्रांक 139/प्रो0, दिनांक 05.02.2024 द्वारा उक्त केन्द्र पर BC-I वर्ग की वर्ग बहुलता दर्शायी गयी है। इस क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा का प्रतिवेदन पत्रांक 2075/प्रो0, दिनांक 10.10.2023 में यह प्रतिवेदित है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर कोई सर्वे नही हुआ है। उक्त केन्द्र पर कोई नया पंजी तैयार नही किया गया है।

उक्त आदेश/प्रतिवेदन के अवलोकन में प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर वर्ग बहुलता की स्थिति का निर्धारण किया जाना समुचित प्रतीत नही होता है।

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त वर्णित कारण से आँगनबाड़ी वाद सं0-43/2020 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा द्वारा दिनांक 08.07.2021 को पारित आदेश को Set Aside किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद उन्हें इस निदेश के साथ Remand Back किया जाता है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में नये सिरे से वांछित प्रक्रियाओं का समुचित पालन करते हुए सही एवं सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन हेतु एक स्पष्ट और मुखर आदेश, आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर पारित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।